L. C. BILL No. III OF 2021.

A BILL
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYATS ACT AND THE MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961.

विधानपरिषद का विधेयक क्रमांक ३ सन् २०२१।

महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम और महाराष्ट्र जिला परिषद तथा पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम और महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और, इसलिए, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम और महाराष्ट्र जिला परिषद तथा पंचायत समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०२१, ६ दिसम्बर २०२१ को प्रख्यापित हुआ था ; सन् १९५९ का महा. ३। सन् १९६२ का महा. ५। सन् २०२१ का महा. अध्या. क्र. १४।

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

अध्याय एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण। **१.** (१) यह अधिनियम, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत और महाराष्ट्र जिला परिषद तथा पंचायत समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०२१ कहलाए।

(२) यह ६ दिसम्बर २०२१ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

अध्याय दो

महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम में संशोधन।

सन् १९५९ का ३ की धारा १०-१क में संशोधन। **२.** महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम (जिसे इसमें आगे इस अध्याय में, " महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम " कहा गया है), की धारा १०-१क में, विद्यमान परंतुकों के स्थान में, निम्नलिखित परंतुक, रखा जाएगा, अर्थात् :— सन् १९५९ का ३।

" परंतु, आम या उप-चुनावों के लिए, जो राज्य चुनाव आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रमों के अनुसार, नामांकन दाखिल करने के दिनांक ३१ दिसम्बर, २०२२ को या के पूर्व हो तो ऐसा व्यक्ति, जिसने नामांकन पत्र दाखिल करने के दिनांक के पूर्व अपने जाति प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए संवीक्षा समिति को आवेदन किया है, लेकिन जिस नामांकन पत्र के दाखिल करने के दिनांक पर विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है, तो वह नामनिर्देशन पत्र के साथ, निम्न प्रस्तुत करेगा,—

(एक) वैधता प्रमाणपत्र को जारी करने के लिए संवीक्षा समिति को उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन की एक सत्य प्रतिलिपि या संवीक्षा समिति को ऐसा आवेदन करने का कोई अन्य सबूत ; और

(दो) यह वचनबंध कि, वह संवीक्षा समिति द्वारा जारी किया गया विधिमान्यता प्रमाणपत्र जिस दिनांक को वह निर्वाचित घोषित हुआ हैं उस दिनांक से बारह महीने की अवधि के भीतर, प्रस्तुत करेगा :

परंतु यह और भी कि, यदि ऐसा व्यक्ति जिस दिनांक से वह निर्वाचित घोषित हुआ है उस दिनांक से बारह महीने की अवधि के भीतर, विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए असफल होता है तो, उसका निर्वाचन भूतलक्षी प्रभाव से समाप्त हुआ समझा जाएगा और वह सदस्य होने से निरर्ह हो जाएगा । "।

सन् १९५९ का ३ की धारा ३०-१क में संशोधन। **३.** महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा ३०-१क में विद्यमान परंतुकों के स्थान में, निम्नलिखित परंतुक, रखे जाएँगे, अर्थात् :—

" परंतु, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसरण में, **सरपंच** पद के लिए निर्वाचनों जिसके लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिनांक ३१ दिसम्बर, २०२२ को या के पूर्व हो तो, ऐसा व्यक्ति जिसने नामांकन पत्र दाखिल करने के दिनांक के पूर्व अपने जाति प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए संवीक्षा समिति को आवेदन किया है, किंतु नामांकन पत्र दाखिल करने के दिनांक पर विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है तो, नामांकन पत्र के साथ, निम्न प्रस्तुत करेगा,—

(एक) विधिमान्यता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए संवीक्षा समिति को उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन की सत्य प्रतिलिपि या संविक्षा समिति को ऐसा आवेदन करने का कोई अन्य सबूत ; और

(दो) यह वचनबंध कि, वह, संवीक्षा समिति द्वारा जारी किया गया विधिमान्यता प्रमाणपत्र जिस दिनांक को वह निर्वाचित घोषित हुआ है उस दिनांक से बारह महीने की अवधि के भीतर, प्रस्तुत करेगा :

परंतु यह और भी कि, यदि ऐसा व्यक्ति, जिस दिनांक से वह निर्वाचित घोषित हुआ है उस दिनांक से बारह महीने की अवधि के भीतर, विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए असफल होता है तो, उसका निर्वाचन भूतलक्षी प्रभाव से समाप्त हुआ समझा जाएगा और वह **सरपंच** होने से निरर्ह हो जाएगा । ” ।

अध्याय तीन

महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ में संशोधन।

सन् १९६२ का महा. ५। **४.** महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ (जिसे इसमें आगे, इस अध्याय में, “ महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम ” कहा गया है), की धारा १२क में, विद्यमान परन्तुक के स्थान में, निम्न परन्तुक, रखा जायेगा, अर्थात् :— सन् १९६२ का महा. ५ की धारा १२क में संशोधन।

“ परंतु, आम या उप-चुनावों के लिए जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित निर्वाचन कार्यक्रमों के अनुसार, नामांकन दाखिल करने के दिनांक ३१ दिसम्बर, २०२२ को या के पूर्व, हो तो ऐसा व्यक्ति जिसने नामांकन पत्र दाखिल करने के दिनांक के पूर्व अपने जाति प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए संवीक्षा समिति को आवेदन किया है, किन्तु नामांकन पत्र दाखिल करने के दिनांक पर विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है तो, नामांकन पत्र के साथ, निम्न प्रस्तुत करेगा,—

(एक) वैधता प्रमाणपत्र को जारी करने के लिए संवीक्षा समिति को उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन की एक सत्य प्रतिलिपि या संवीक्षा समिति को ऐसा आवेदन करने का कोई अन्य सबूत ; और

(दो) यह वचनबंध कि, वह, संवीक्षा समिति द्वारा जारी किया गया विधिमान्यता प्रमाणपत्र जिस दिनांक को वह निर्वाचित घोषित हुआ है उस दिनांक से बारह महीनें की अवधि के भीतर, प्रस्तुत करेगा :

परंतु यह और भी कि, यदि ऐसा व्यक्ति जिस दिनांक से वह निर्वाचित घोषित हुआ है उस दिनांक से बारह महीने की अवधि के भीतर, विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए असफल होता है तो, उसका निर्वाचन भूतलक्षी प्रभाव से समाप्त हुआ समझा जाएगा और वह पार्षद होने से निरर्ह हो जाएगा । ” ।

५. महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम की धारा ४२ की, उप-धारा (६क) में विद्यमान परंतुकों के स्थान में, निम्नलिखित परंतुक, रखे जाएँगे, अर्थात् :— सन् १९६२ का महा. ५ की धारा ४२ में संशोधन।

“ परंतु, घोषित निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसरण में, अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचनों, जिसके लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिनांक ३१ दिसम्बर, २०२२ को या के पूर्व हो तो, ऐसा व्यक्ति जिसने नामांकन पत्र दाखिल करने के दिनांक के पूर्व अपने जाति प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए संवीक्षा समिति को आवेदन किया है ; किंतु नामांकन पत्र दाखिल करने के दिनांक पर विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है तो, नामांकन पत्र के साथ, निम्न प्रस्तुत करेगा,—

(एक) विधिमान्यता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए संवीक्षा समिति को उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन की सत्य प्रतिलिपि या संवीक्षा समिति को ऐसा आवेदन करने का कोई अन्य सबूत ; और

(दो) यह वचनबंध कि, वह, संवीक्षा समिति द्वारा जारी किया गया विधिमान्यता प्रमाणपत्र जिस दिनांक को वह निर्वाचित घोषित हुआ है उस दिनांक से बारह महीने की अवधि के भीतर, प्रस्तुत करेगा :

परंतु यह और भी कि, यदि ऐसा व्यक्ति, जिस दिनांक से वह निर्वाचित घोषित हुआ है उस दिनांक से बारह महीने की अवधि के भीतर, विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए असफल होता है तो, उसका निर्वाचन भूतलक्षी प्रभाव से समाप्त हुआ समझा जाएगा और वह अध्यक्ष होने से निरर्ह हो जाएगा । ” ।

६. महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम की धारा ६७ की, उप-धारा (७क) में, विद्यमान परन्तुक के स्थान में, निम्न परन्तुक, रखा जायेगा, अर्थात् :— सन् १९६२ का महा. ५ की धारा ६७ में संशोधन।

“ परंतु, घोषित निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसरण में, सभापति पद के लिए निर्वाचनों, जिसके लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिनांक ३१ दिसम्बर, २०२२ को या के पूर्व हो तो, ऐसा व्यक्ति जिसने नामांकन पत्र दाखिल करने के दिनांक के पूर्व अपने जाति प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए संवीक्षा समिति को आवेदन किया है, किंतु नामांकन पत्र दाखिल करने के दिनांक पर विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है तो, नामांकन पत्र के साथ, निम्न प्रस्तुत करेगा,—

(एक) विधिमान्यता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए संवीक्षा समिति को उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन की सत्य प्रतिलिपि या संवीक्षा समिति को ऐसा आवेदन, करने का कोई अन्य सबूत ; और

(दो) यह वचनबंध कि, वह, संवीक्षा समिति द्वारा जारी किया गया विधिमान्यता प्रमाणपत्र जिस दिनांक को वह निर्वाचित घोषित हुआ है उस दिनांक से बारह महीने की अवधि के भीतर, प्रस्तुत करेगा :

परंतु यह और भी कि, यदि कोई व्यक्ति, जिस दिनांक से वह निर्वाचित घोषित हुआ है उस दिनांक से बारह महीने की अवधि के भीतर, विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए असफल होता है तो, उसका निर्वाचन भूतलक्षी प्रभाव से समाप्त हुआ समझा जाएगा और वह सभापति होने से निरर्ह हो जाएगा। ”।

अध्याय चार

विविध

सन् २०२१ का महा.अध्या. क्र. १४ का निरसन और व्यावृत्ति।

७. (१) महाराष्ट्र ग्राम पंचायत और महाराष्ट्र जिला परिषद तथा पंचायत समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश २०२१, एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है। सन् २०२१ का महा. अध्या.क्र. १४।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम और महाराष्ट्र जिला परिषद तथा पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गयी कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित सुसंगत अधिनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गयी या, यथास्थिति, जारी की गयी समझी जायेगी। सन् १९५९ का ३। सन् १९६२ का महा. ५।

उद्देश्यों तथा कारणों का वक्तव्य ।

महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम (सन् १९५९ का ३) की धारा १०-१क और ३०-१क और महाराष्ट्र जिला परिषद तथा पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ (सन् १९६२ का महा. ५) की धारा १२क, ४२ और ६७ यह उपबंध करती हैं कि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या, यथास्थिति, नागरिकों के पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के लिए आरक्षित सीट पर निर्वाचन लड़ने की इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति, नामांकन पत्र के साथ महाराष्ट्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति **(विमुक्त जातियों)**, खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा विशेष पिछडे प्रवर्गों जाति प्रमाणपत्र (निर्गमन और सत्यापन का विनियमन) अधिनियम, २००० (सन् २००१ का महा. २३) (जिसे इसमें आगे, ''जाति प्रमाणपत्र अधिनियम'' कहा गया है) के उपबंधों के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए जाति प्रमाणपत्र और संवीक्षा समिति द्वारा जारी किए गए वैधता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे ।

२. जाति संवीक्षा समिति पर जाति प्रमाणपत्र के सत्यापन करने के कार्य का अत्याधिक बोझ है। कई ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समितियों के आम निर्वाचन साथ ही साथ उप-निर्वाचन निकट भविष्य में लिये जाने की संभावना है। उपर्युक्त निर्देशित निर्वाचन में भाग लेनेवाले इच्छुक उम्मेदवारों को ऐसे निर्वाचनों के लिए नामांकन कागजात दाखिल करने के पूर्व अल्प अवधि के भीतर जाति प्रमाणपत्र अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन विरचित नियमों के अनुसरण में जाति संवीक्षा समितियों से जाति सत्यापन प्रमाणपत्र प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पडता है।

३. इसलिए, यह सुनिश्चित करना इष्टकर समझा गया था कि, ऐसे निर्वाचनों के उम्मीदवार केवल समय पर जाति संवीक्षा समिति द्वारा जाति सत्यापन प्रमाणपत्र के जारी न करने के कारण आरक्षित सीटों के लिए ऐसे चुनाव में लड़ने के अवसर से वंचित न रहें। इसलिए, आरक्षित सीटों के लिए निर्वाचन लड़ने के इच्छुक और जिस दिनांक पर वे निर्वाचित घोषित हुए है उस दिनांक से बारह महीने के भीतर, जाति वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए जाति संवीक्षा समिति को जिसने आवेदन किया है ऐसे व्यक्तियों को अनुमति देने की दृष्टि से महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम की धाराएँ १०-१क और ३०-१क और महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ की धाराएँ १२क, ४२ और ६७ में यथोचित संशोधन करना इष्टकर समझा गया है।

४. चूँकि राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चूका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम और महाराष्ट्र जिला परिषद तथा पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; अतः महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा महाराष्ट्र ग्राम पंचायत और महाराष्ट्र जिला परिषद तथा पंचायत समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०२१ (सन् २०२१ का महा. अध्या. क्र. १४) ६ दिसम्बर २०२१ को प्रख्यापित हुआ था।

५. प्रस्तुत विधेयक का आशय उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना है।

मुंबई,
दिनांकित १६ दिसंबर २०२१।

हसन मुश्रीफ,
ग्राम विकास मंत्री।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन :
मुंबई,
दिनांकित १६ दिसंबर, २०२१।

राजेन्द्र भागवत,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानपरिषद।

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई.